

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)

मौलाना अली गियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226008
वेबसाइट: hajcommittee.up.gov.in; ई-मेल: hajcommittee.up@gmail.com

—:हज-2025 के इच्छुक हज यात्रियों हेतु सूचना:—

हज-2025 के इच्छुक हज यात्रियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया दिनांक 13.08.2024 प्रारम्भ हो गयी है जिसकी अन्तिम तिथि 09.09.2024 है। हज आवेदन हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाइट <https://hajcommittee.gov.in> या आई.फोन या एंड्रॉयड मोबाइल ऐप "हज सुविधा" द्वारा भरे जा सकते हैं।

- ऑनलाइन आवेदन शुल्क के रूप में कोई धनराशि नहीं जमा करनी है।
- ऑनलाइन आवेदन सुविधा समस्त ज़िलों में स्थापित हज ई-सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध है।
- ऐसे सभी व्यक्ति हज-2025 के लिए हज आवेदन कर सकते हैं जिनके पास हज आवेदन भरने की अन्तिम तिथि से पहले जारी वैध मशीन द्वारा पठनीय भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट उपलब्ध हो और जिसकी वैधता अवधि कम से कम 15 जनवरी, 2026 तक हो।
- 65 वर्ष से अधिक की आयु के आवेदक के साथ एक सहयोगी आवेदक का होना आवश्यक है। जिसकी आयु 18 वर्ष से 64 वर्ष 11 माह 29 दिन के बीच हो।
- आवेदन की अन्तिम तिथि तक जिन शिशु (Infant) की आयु दो वर्ष के भीतर होगी वह आवेदन के पात्र होंगे।
- दो वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को व्यस्क के रूप में माना जायेगा।
- जिन आवेदकों ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट हेतु आवेदन किया है परन्तु पासपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में समस्त क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय को हज आवेदकों के पासपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर जारी किये जाने सम्बन्धी निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
- ऑनलाइन हज आवेदन के सम्बन्ध में उ०प्र० राज्य हज समिति के निम्न दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है:— 7310103536, 7310103531 व 9170627776

सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें क्योंकि आवेदन के चयन उपरान्त ही सऊदी अरब में विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। सऊदी एजेन्सियों के अनुसार जिन देशों के लोग उनसे पहले सम्पर्क करते हैं उन्हें समीप की जगहों का आवंटन कर दिया जाता है बाद में आने वाले देशों को शेष बची हुयी जगह मिल पाती है। जिससे उस देश के यात्रियों को उठरने आदि की व्यवस्था दूर उपलब्ध हो पाती है। हज समिति का प्रयास है कि वह अपने देश से जाने वाले हज यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराये। यह तभी सम्भव है जब आवेदनकर्ता समय से आवेदन करेंगे।

(एस०पी० तिवारी)

सचिव/कार्यपालक अधिकारी